इकाई 10 महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी

इकाई की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना

लक्ष्य और उद्देष्य

10.2 अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य

10.3 विकास के दषक

10.3.1 संयुक्त राष्ट्र : विकास का पहला दषक

10.3.2 विकास का दूसरा दषक

10.3.3 विकास का तीसरा दषक

10.4 कार्य योजना के लिए बीजिंग मंच

10.5 महिला और राजनीतिक भागीदारी

10.5.1 भारत में राजनीतिक भागीदारी

10.6 महिलाएँ और आर्थिक भागीदारी

10.7 सारांष

10.8 बोध प्रष्न

10.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

10.1 प्रस्तावना

विष्व की कुल 1.3 बिलियन गरीब जनसंख्या का 70 प्रतिषत हिस्सा महिलाएँ हैं। किन्तु समग्र विकास की दृष्टि से उनकी स्थिति पुरुषों की तुलना में खराब है। सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में उनकी अधीनस्थ की ही भूमिका है। अनेक प्रकार के आंदोलनों से उनकी साक्षरता, जीवन सापेक्षता और मातृत्व मृत्यु दर की स्थितियों में सुधार हुआ है। फिर भी उनकी स्थिति अधिक नहीं सुधरी है। यही नहीं सार्वजनिक/निज़ी का भेद लैगिंक आधार पर निर्मित है और वही चल रहा है। महिलाएँ जीवन के निज़ी दायरों तक सीमित हैं और उनका जीवन घरेलू कारोबार तक सिमट गया है। इन समस्याओं से उभरने के लिए सरकारों ने महिलाओं की निर्णय–प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस दिषा में अनेक प्रयास किए हैं।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समाज वैज्ञानिकों ने व्यक्तियों के बीच मौज़ूद भिन्नताओं की व्याख्या करने के लिए अनेक प्रकार के सिद्धांतः प्रस्तावित किए हैं। महिलावादी नृवैज्ञानिकों ने कहा कि सामाजिक वर्गीकरण, सगोत्रीय परिवार, सम्पत्ति का स्वामित्त्व और कार्य एवं उत्पादन के विभिन्न रूपों जैसे सामाजिक संगठन और उत्पादन के सम्बन्धों ने विष्व में लैगिंक भेदभाव को बहुत अधिक बढ़ाया है।

लक्ष्य और उद्देष्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपः

- आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं को बाहर करने के कारण को समझ सकेंगे;
- महिलाओं की आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी की आवष्यकता को जान सकेंगे;

- आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति की समीक्षा कर सकेंगे; और
- राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास का आकलन कर सकेंगे।

10.2 अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र विष्व पर महिलाओं की स्थिति और दषा को सामने लाने के लिए बड़ा कार्य किया है और महिलाओं के मुद्दों को विकासात्मक एजेण्डे में शामिल किया।

इलीनियर रूजवेल्ट (Eleanor Roosevelt) ने सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को उठाया। महिला अधिकार आन्दोलन उन्नीसवीं शताब्दी में महिलाओं की यातनाओं को लेकर शुरु हुए। सन् 1920 में महिलाओं की स्थिति को लेकर स्थापित "इंटर–अमेरिकन कमीषन" (अन्तर–अमरीकी आयोग) नवस्थापित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में महिलाओं के लिए समान अधिकारों के प्रावधानों को शामिल करवाने में जिन समूहों की भूमिका थी वह उनमें से एक प्रमुख समूह था। अन्तर्राष्ट्रीय महिला परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय महिला मोर्चा जैसे ग़ैर–सरकारी संगठनों की संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council - ECOSOC) में सलाहकार की भूमिका थी इसलिए महिलाओं की स्थिति पर केन्द्रित संयुक्त राष्ट्र आयोग (United Nations Commission on the Status of Woemn- CSW) में उन्हें सदस्यता दे दी गई जिससे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर सन् 1947 के प्रावधानों को पूरा किया जा सके।

महिला अधिकार आंदोलन, मानव अधिकार आन्दोलन और उपनिवेषवाद विरोधी आन्दोलन जैसे तीन अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलनों और इस संघर्ष में भाग लेने वाली महिलाओं ने महिला आन्दोलनों का पथ प्रषस्त किया। इन सब प्रयासों के कारण सन् 1975 के वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। इसके बाद आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र ने महिला सम्बन्धी चार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए। सन् 1950 और सन् 1960 के दषकों में महिला और विकास की अवधारणा का उदय हुआ। इस अवधि में पचास देष स्वतंत्र हुए थे जो महिलाएँ स्वाधीनता संग्राम में शामिल थीं अब वे पुरुषों के साथ मिलकर अपने–अपने राष्ट्र–निर्माण में लग गईं थीं।

10.3 विकास के दषक

10.3.1 संयुक्त राष्ट्र : विकास का पहला दषक

सन् 1970 में संयुक्त राष्ट्र ने सन् 1960 के दषक के विकास की समीक्षा की। इस समीक्षा के आधार पर महिलाओं के विकास के विभिन्न दृष्टिकोण तैयार किए गए। समीक्षा में यह निष्कर्ष निकला गया कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को गरीबी से उभारने की अत्यंत आवष्यकता है और विकास के प्रयासों का लाभ महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान रूप से मिले। मैक्सिको शहर में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन् 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिए आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महिला स्वैच्छिक निधि (बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र विकास निधि कहा गया) और अन्तर्राष्ट्रीय महिला प्रषिक्षण एवं शोध केन्द्र की संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत जल्दी ही स्थापना हो गई थी।

इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के महिलावादियों ने सरकार की नीतियों विशेषतया USAID नीति में महिलाओं के मुद्दों को शामिल करने का दबाव डाला। उनके सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप सन् 1973 में पर्सी संषोधन (Percy Amendment) नामक नया संषोधन लाया गया। इससे सभी विकास

परियोजनाओं में उन लैगिंक संवेदनषीलतापरक अध्ययनों को एक साथ लाने का रास्ता खुल गया जिनका सामाजिक असर होता है। महिलावादियों ने विकास में महिलाएँ (Women in Development - WID) पद का प्रयोग करना शुरु कर दिया यह उदार महिलावाद के अंतर्गत आता है।

10.3.2 विकास का दूसरा दषक

सन् 1980 के दषक के मध्य में विकास विशेषज्ञों ने मनुष्य की बुनियादी आवष्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना शुरु कर दिया था। इस बीच संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programme - SAP) तैयार किया गया जिससे सरकारी खर्च को कम किया जा सके और बाज़ार की शक्ति को बढ़ाया जा सके। उदारवादी महिलावादियों के अनुसार आर्थिक समृद्धि से महिलाओं का विकास अपने आप होगा। विकास के अनेक सिद्धांतों में यह माना गया है कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का लाभ दीर्घकाल में महिला और पुरुष दोनों को मिलेगा किन्तु तात्कालिक रूप से महिलाओं और बच्चों के हित इससे प्रभावित होंगे। इसके साथ ही कुछ महिलावादी और विकास के सिद्धांतकारों ने कहा कि विकास में महिलाएँ (Women in Development - WID) और विकास और महिलाएँ (Development and Women - WAD) ' इन दोनों ही दृष्टिकोणों ने लैगिंक असमानता का समाधान नहीं किया है। इसलिए इन्होंने "लैगिंकता और विकास" (Gender and Development - GAD) दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया। इसे "सषक्तीकरण दृष्टिकोण" या लैगिंकता जागरूक योजना" (Gender Aware Planning) के नाम से जाना जाता है।

"लैगिंकता और विकास" (Gender and Development - GAD) दृष्टिकोण का उदय जमीनी स्तर के सांगठनिक अनुभवों और तीसरी दुनिया के महिलावाद के लेखन से हुआ और स्पष्ट रूप से इसका विवेचन इस युग के लिए महिलाओं के साथ वैकल्पिक विकास (Development Alternatives with Women for a New Era - DAWN) नामक एक समूह द्वारा किया गया। इस नए प्रतिमान (Paradigm) के विकास की प्रक्रिया सन् 1980 के दषक के आरंभ में ही शुरु हो गई थी। महिलाओं के साथ वैकल्पिक विकास (DAWN) का सार्वजनिक रूप से आरंभ सन् 1985 के नरौबी अन्तर्राष्ट्रीय ग़ैर सरकारी संगठनों के मंच (Naiorbi International NGO Forum) में हुआ। इसमें महिलाओं के विकास के एक दृष्टिकोण का आवाह्न किया गया जिसमें वैष्विक एवं लैगिंक असमानता के महत्व को स्वीकार किया गया। "लैगिंकता और विकास" (GAD) दृष्टिकोण का उद्भव विकास के मुद्दों पर विचार करने वाले पाष्चात्य महिलावाद के अनुभवों एवं विश्लेषण से हुआ था।

10.3.3 विकास का तीसरा दषक

तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सन् 1985 में नरौबी में आयोजित किया गया। महिला दषक (1975–85) ने आर्थिक रूप से दक्षिणी देषों की महिलाओं के लिए विकास के अवसर प्रदान किए। नरौबी ने दक्षिणी देषों के महिला आन्दोलन के नेतृत्व को मंच प्रदान किया। तीसरी दुनिया की महिलाएँ स्वयं ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल हो गईं और अपनी अस्मिता (पहचान) की प्रखर भावना के साथ अब वे वैष्विक एकजुटता के रूप में अपने आप को पुर्नपरिभाषित करने के लिए तत्पर थीं। यद्यपि, उत्तर–दक्षिणी का भेद अभी भी समाप्त नहीं हुआ था फिर भी दक्षिणी देषों की महिलाओं में एक नया आत्मविकास पैदा हुआ जिससे इन्हें बेहतर दुनिया के लिए संघर्ष में उनके बीच भागीदारी बनाने में सहायता मिली। इस फोरम (मंच) की अंतिम रिपोर्ट (रिकॉर्ड फोरम 85 के लिए तैयार) में महिलाओं के कार्य व्यापार का अर्थ संक्षेप में इस तरह प्रस्तुत किया, "आज महिलाएँ न केवल महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं अपितु पूरे समाज के लिए अपने आपको परिवर्तन की शक्ति के रूप में देखती हैं। महिलाएँ शक्ति और सत्ता को पाना चाहती हैं जिससे वे पुरुषों के साथ मिलकर समान रूप से

सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना को एकीकृत एवं समतामूलक विकास की दिषा में बदलने के लिए कार्य कर सकें।"

भागिदारियों ने महिलाओं की वैकल्पिक दृष्टि (विज़न) को प्राप्त करने में वर्तमान सरकारों की योग्यता या इच्छा के बारे में बहुत कम उम्मीद जताई थी। उन्होंने बार–बार इस बात पर बल दिया कि महिलाओं को स्वतंत्र रूप से संगठित होकर राजनीतिक कार्रवाई करने की आवष्यकता है जिससे वे ज़िम्मेदारी लेकर मौज़ूदा नीतियों और कार्यक्रमों को चुनौती दे सकें और एकीकृत विकास लाने के लिए कार्य कर सकें। महिलावादी वैकल्पिक दृष्टि के केन्द्र में जन–केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रीयकरण मौज़ूद है। यह सर्वाधिक गरीबों और सर्वाधिक उत्पीड़ितों के सरोकार पर आधारित है। इसमें वर्ग, नस्ल, नृजातीयता, लिंग (gender) और आयु की समझ के महत्व पर भी बल दिया जाता है। ये सभी न केवल एक समग्र समाज के लिए हैं अपितु स्वयं महिलाओं के बारे में नीतियों के निर्माण एवं विश्लेषण के लिए अनिवार्य कारक हैं।

10.4 कार्य योजना के लिए बीजिंग मंच

नरौबीयाई सम्मेलन की सिफारिषों में से एक सिफारिष यह थी कि संयुक्त राष्ट्र दस वर्षों में महिलाओं सम्बन्धी मुद्दों पर एक और सम्मेलन आयोजित करें। जिससे नरौबी सम्मेलन की सिफारिषों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जा सके। यह सम्मेलन सन् 1995 में बीजिंग में हुआ। महिला सम्बन्धी मुद्दों पर आयोजित चौथे विष्व सम्मेलन, बीजिंग, 1995 के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक था सभी निर्णायक समितियों/संस्थाओं में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व इसमें सम्मिलित हुआ था (बीजिंग प्लेटफार्म एक्षन, 1995)। इसमें सुझाव दिया गया कि किसी भी प्रतिनिधित्व वाली संस्था में समाज के समग्र सरोकारों की बात करने के लिए महिला और पुरुष की संख्या में तर्कसंगत संतुलन होना चाहिए। अच्छे प्रषासन का अर्थ है सहभागितापरक, उत्तरदायी और पारदर्षी होना आवष्यक है जिसके लिए राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लैगिंक संतुलन बनाने की आवष्यकता है। यह माना जाता है कि महिलाओं के अधिकार और प्रषासन के मूल्य समग्र निर्णय प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं और उसे मज़बूत बना सकते हैं। सामान्यतया यह भी माना जाता है कि स्थानीय स्तर पर महिलाएँ सामुदायिक मुद्दों को लेकर अधिक संवेदनषील होती हैं। कार्य योजना के लिए बीजिंग मंच ने निम्नलिखित की संस्तुति की:

- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर आयोजित सम्मेलन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) के अनुरूप महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करनी है। इसके साथ ही कानूनी समानता को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी का एक अल्पकालीन लक्ष्य 30 प्रतिषत को प्राप्त करके कानूनी समानता को बढ़ावा दिया जाए। इस लक्ष्य को दीर्घकालीन लक्ष्य के रूप में 50 प्रतिषत ले जाया जाए।

- प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा को समान रूप से और महिलाओं के प्रति विशेष रूप से ध्यान देते हुए हमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को एक साथ लाना होगा जिससे आर्थिक और राजनीतिक अवसरों को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

10.5 महिला और राजनीतिक भागीदारी

सन् 1997 में काइरो (Cairo) में अन्तर संसदीय संघ परिषद ने लोकतंत्र पर एक सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया और यथावत विष्व भर की सरकारों और संसदों से अनुरोध किया कि वे इस घोषणा को अपनाए। विष्व भर की संसदों की कुल सदस्य संख्या 44,204 है। इनमें से केवल 7,160 महिलाएँ हैं अर्थात् केवल 16.3 प्रतिषत। निम्नलिखित देषों की संसद (उच्च और निम्न सदन) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिषत इस प्रकार हैः

तालिका 1: संसद में महिलाएँ

क्रम संख्या	देष का नाम	प्रतिषत
1.	नोर्डिक देष	40
2.	अमरीकी देष	20
3.	यूरोप – ओएससीई (नोर्डिक देषों को छोड़कर)	16.8
4.	उप–सहारा अफ्रीकी देष	16.6
5.	एषियाई देष	15.9
6.	प्रषान्त से जुड़े देष	13.9
7.	अरब देष	6.8

स्रोतः www.ipu.org

तालिका 2: राष्ट्रीय संसद में महिलाएँ : दक्षिण एषियाई देष
प्रत्यक्ष निर्वाचन से गठित सदनों में फरवरी 2006 के आँकड़ों पर आधारित

देष का नाम	चुनाव का वर्ष	सीटों की संख्या	महिलाओं की सीटों की संख्या	महिलाओं की सीटों का प्रतिषत
बांग्लादेष	2001	345	51	14.8
भारत	2004	543	45	8.3
नेपाल	1999	189	12	5.9
पाकिस्तान	2002	342	73	21.3
श्रीलंका	2004	225	11	4.9
दक्षिण एषिया		1644	192	11.7

बॉक्स 1 : दक्षिण एषिया में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

सार्वजनिक रूप से राजनीतिक दल जो भी हैं दलीय समितियों और विधायिका में महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिष्चित करने में उनकी असफलता एक कटु यथार्थ है। राजनीतिक दल अपने दलीय संविधान में यह प्रावधान कर सकते हैं जिससे पार्टी के पदों पर महिलाओं का एक न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिष्चित किया जा सके। इस बात को लेकर मतभेद हो सकता है कि

महिलाओं की विधायिकों में भागीदारी को पार्टी में महिलाओं के लिए आन्तरिक आरक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है अथवा विधायिकों में एक निष्चित अनुपात में सीटों के आरक्षण के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर दो स्तरों पर विचार हो सकता हैः

- दलीय समितियों और पदों पर महिलाओं के लिए निष्चित प्रतिषत आरक्षित करके ऐसा किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कुछ राजनीतिक दलों में इस प्रकार की व्यवस्था है। इन दलों को इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करना चाहिए और दूसरे दलों को अपने दलीय संविधान में ऐसा प्रावधान कर उसे लागू करना चाहिए।
- जहाँ तक विधायिका का प्रष्न है यदि देष के संविधान में संषोधन करके महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं तो राजनीतिक दल ऐसी सीटों पर महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने के लिए बाध्य होंगे। चूँकि चार–पाँच दक्षिण एषियाई देषों में बहुलतापरक व्यवस्था है इसमें एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र हैं। इसलिए राजनीतिक दलों पर छोड़ना व्यावहारिक नहीं होगा कि एक निष्चित प्रतिषत में महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारें।

जो दलीय व्यवस्था मौजूद है उसमें गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल कुछ या बहुत सारी सीटों पर महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार भी दें तो यह संभव है कि उनमें से पर्याप्त संख्या में महिलाएँ चुनाव न जीत सकें क्योंकि राजनीतिक दल हारने की संभावना वाले चुनाव क्षेत्रों से उन्हें चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। इसलिए यह बेहतर होगा कि महिलाओं के लिए चुनाव क्षेत्र आरक्षित कर दिए जाएँ। यद्यपि, जैसा कि श्रीलंका में होता है (जहाँ जन प्रतिनिधित्व व्यवस्था लागू है)। यह संभव है कि राजनीतिक दलों को कानूनी रूप से बाध्यकर दिया जाए कि वे अपने प्रत्याषियों की सूची में महिलाओं की एक निष्चित संख्या अवष्य रखें।

राजनीति और सरकार में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से ज्ञात तथ्य है। बहुत से देषों में शासनाध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख महिलाएँ नहीं हैं (सन् 1954 से सन् 1994 तक 24 राष्ट्रपति और 30 प्रधानमंत्री) और दुनिया भर के देषों में महिला मंत्रियों की संख्या सन् 1987 से सन् 1996 के बीच दोगुनी हो गई। इससे उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुई जो 3.4 प्रतिषत से 6.8 प्रतिषत तक पहुँच गई किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। यही नहीं 187 में से 48 देषों में कोई भी महिला मंत्री नहीं थी। वस्तुतः एषिया–प्रषान्त क्षेत्र और पूर्वी यूरोप में महिला मंत्रियों का प्रतिषत 5 प्रतिषत से भी कम था। जिन मंत्रालयों का उत्तरदायित्व उन्हें दिया जाता है उनका स्वरूप भी एक खास किस्म का होता है। सन् 1999 में दुनिया भर के देषों में महिला मंत्रियों को जो मंत्रालए दिए गए थे वे सामाजिक मामले, स्वास्थ्य, महिला मामले, परिवार, बाल, युवा, संस्कृति एवं विरासत, षिक्षा, पर्यावरण एवं श्रम। कुछ ही महिला मंत्रियों को रक्षा, वित्त एवं व्यापार जैसे मंत्रालय दिए गए और केवल एक देष में गृह मंत्रालय का जिम्मा किसी महिला को दिया गया है।

जहाँ तक राष्ट्रीय विधायिका या संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रष्न है केवल 8 देषों में ही 30 प्रतिषत के और कथित अच्छे आँकड़े तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो पाया है ये हैं– स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैण्ड, नार्वे, आइसलैण्ड, नीदरलैण्ड, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका इत्यादि। एक संवाद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के विषय में "बीजिंग प्रभाव" के मूल्यांकन से पता चलता है कि दुनिया भर में महिला सांसदों का प्रतिषत सन् 1995 के 11.3 प्रतिषत से बढ़कर सन् 1999 में 12.9 प्रतिषत तक पहुँच गया। इसमें केवल 1.6 प्रतिषत की मामूली बढ़ोत्तरी हुई। इसी अवधि में संसद में महिला अध्यक्षों (पीठासीन अधिकारियों) के प्रतिषत में थोड़ी गिरावट आई है।

पूर्वी यूरोप के देषों में राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रतिषत वास्तव में विगत दषक में गिर गया है। आंषिक रूप से यह इस अवधारणा पर आधारित है कि कम्युनिस्ट शासन में भागीदारी शक्तिपरक थी। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि अरब देषों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है। इसके बाद दक्षिण एषियाई देषों का क्रम है (जिसमें बांग्लादेष एक महत्वपूर्ण अपवाद है) जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूर्वी–एषिया और उपसहारा के अफ्रीकी देषों से भी कम है।

सन् 1995 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में दो सचेतक कार्य दिए। पहला, प्रषासन की लैगिंक सापेक्ष बनाने के पहले प्रषासन की परिभाषा का हो लैगिंक सापेक्ष बनाने की आवष्यकता है। दूसरा, प्रषासन को लैगिंक सापेक्ष बनाने की परियोजना को सिर्फ देष या सरकार, निज़ी क्षेत्र और ग़ैर सरकारी संगठनों के शीर्ष पदों पर बैठाने के बजाय उनकी वास्तविक अर्थों में इसे देखना होगा।

जिन महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र, राजनीति और शासन प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है उन्हें चुनाव राजनीति और मतदान तक ही सीमित लोगों के समकक्ष रखा जा सकता है। जिन दूसरी महिलाओं का घूमना फिरना अधिक होता है और जो सरकार और उसकी नीतियों के लिए चुनौती बन सकती हैं (चाहे संयोगवष या सुसंगत तरीके से – जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय विद्यार्थी और कार्यकर्त्ता) वे राजनीति को प्रतियोगितात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देख सकती हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता तंत्र में भागीदारी के लिए मैदान में उतर सकती हैं।

शासन की अवधारणा के अंतर्गत उन विचारों को शामिल किया जा सकता है जो :

1) सरकार की वैधता की बात करते हैं जो कि शासित लोगों की सहभागिता, प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हैं।

2) सरकारी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व – अपने कार्यों और व्यवस्था के प्रति जिनके द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं को उत्तरदायी ठहराया जा सके।

3) सरकार की क्षमता – उपयुक्त नीतियों का निर्माण; समयबद्ध निर्णय, उनका प्रभावी क्रियान्वयन और सेवा प्रदान करना; और

4) मानव अधिकार और कानून के शासन का सम्मान – जिससे व्यक्तिगत और समूहगत अधिकारों और सुरक्षा को सुनिष्चित किया जा सके और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों का एक ढाँचा तैयार किया जा सके।

केवल अधिकारों की नकारात्मक अवधारणा (स्वतंत्रता या स्वच्छन्दता) अपर्याप्त है क्योंकि राज्य (सरकार) से स्वतंत्रता का सिद्धांत (उदारवादी राजनीतिक चिंतन जॉन लॉक से लेकर समकालीन उदारवादी चिंतक राबर्ट नोटिनक के विचारों तक) निज़ी मामलों में राज्य (सरकार) के हस्तक्षेप को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराता है। महिलावादी दृष्टि से नकारात्मक अधिकार संदिग्ध हैं क्योंकि सामाजिक परम्पराएँ प्रायः दमनात्मक और पितृसत्तात्मक होती हैं और राज्य (सरकार) के हस्तक्षेप के अभाव में इन शक्तियों को वैधता मिल जाएगी। अधिकारों को सकारात्मक अवधारणा की विशेषता यह है कि यह न केवल अधिकारों का औपचारिक ढाँचा प्रदान करता है अपितु उन सहयोगी दषाओं को भी प्रदान करता है जिससे उनकी पूर्ति संभव हो सके। प्रषासन की लैगिंक सापेक्ष दृष्टि सकारात्मक अधिकार की दृष्टि पर आधारित होनी चाहिए क्योंकि इसे बहिष्करण, सीमान्तीकरण और अदृश्यता के लम्बे इतिहास को समझना और उसे सुलझाना होगा। इसलिए समाज के रचनात्मक जीवन में महिलाओं के योगदान का रेखांकन और उनकी अभिव्यक्ति को अधिकार की भाषा में समझाना होगा।

राजनीति की औपचारिक संरचना में महिलाओं के अल्प प्रतिनिधित्व को सुलझाने के लिए मुख्य नीति आरक्षण के द्वारा उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की रही है। चाहे वह राजनीतिक दलों में हो या विधायिकाओं में। आरक्षण की नीति को प्रायः इस तर्क के आधार पर उचित ठहराया जाता है कि विचारों की राजनीति में हाषिए या सीमान्त अथवा बहिष्कृत समूहों के लिए सरकारी नीतियों में कोई चिन्ता नहीं होती। विचारों की राजनीति समूहों के सरोकारों और हितों की बजाय राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और नीतियों के बीच राजनीतिक चुनाव है। इसका तात्पर्य है उपस्थिति की राजनीति का महत्व जिसमें महिलाएँ, जातीय अल्पसंख्यक और अन्य बहिष्कृत समहों को उचित प्रतिनिधित्व की गारंटी दी जाती है।

आरक्षण का मुद्दा दो कारणों से विवादास्पद है। पहले का सम्बन्ध राजनीतिक दलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वास्तविक प्रतिबद्धता की कमी से है। ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा राजनीतिक दल उन चुनाव क्षेत्रों में महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन को ठेस पहुँचा सकते हैं जिनमें राजनीतिक दल कमज़ोर हो और उसकी जीत की संभावना नहीं हो या फिर आरक्षण को वे एक सीमा बना लें न कि न्यूनतम सीमा जिससे आगे बढ़ने की आवष्यकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दें जो आज्ञाकारिणी हों क्योंकि वे राजनीतिक दल के पुरुष नेतृत्व पर निर्भर रहती हैं। निष्चत ही इसके अपवाद भी हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेषनल कांग्रेस (African National Congress - ANC) जिसने अपने आप ही 30 प्रतिषत का आरक्षण महिलाओं के लिए तय कर दिया चाहे बहुत–सी महिला उम्मीदवार सूची में नीचे से 15 प्रतिषत उम्मीदवारों में शामिल हैं। उस देष के अन्य राजनीतिक दलों ने अफ्रीकन नेषनल कांग्रेस का अनुसरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 27 प्रतिषत है।

10.5.1 भारत में राजनीतिक भागीदारी

भारत में यह प्रक्रिया सन् 1930 के दषक से शुरु हुई। अखिल भारतीय महिला परिषद (All India Women Council), भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद (National Council for Women in India) और भारतीय महिला संघ (India Women Association) जैसे संगठनों ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की माँग की। इसलिए महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही राजनीतिक एजेण्डे पर भी था। राष्ट्रवादी आन्दोलन की आँधी में यह मुद्दा पीछे चला गया। महिला संगठनों ने लम्बे समय से राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के राजनीतिक संसाधनों को प्रोत्साहित और तेज़ करने की आवष्यकता पर बल दिया है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और आरक्षण के मुद्दे पर पिछले 60 वर्षों से बहस, विचार–विमर्ष बड़े पैमाने पर होता रहा है और यह सामाजिक विवेचन का विषय बन गया है।

स्वतंत्रता के बाद के समय में यह मुद्दा पिछड़े वर्गों के लिए गठित कालेलकर आयोग (1950) के द्वारा फिर से केन्द्र में आ गया। किन्तु इस पर बहस आगे नहीं बढ़ सकी और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सन् 1975 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति ने महिलाओं के लिए चुनाव में आरक्षण की सिफारिष की थी। इसकी पुनः पुष्टि सन् 1988 में नीति दस्तावेज़ (Policy Document) में की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार सरकार ने पंचायती राज विधेयक पेष किया किन्तु इसे केवल लोकसभा में पारित किया जा सका।

इस बीच 1993–94 में 73वें और 74वें संविधान संषोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद एक–तिहाई महिलाएँ स्थानीय निकायों में निर्वाचित हुईं। अपनी ज़िम्मेदारी संभालने में इन निर्वाचित महिला

प्रतिनिधियों को स्थानीय संस्थाओं में उनको राजनीतिक, सामाजिक और प्रषासनिक तंत्र के साथ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त परिवार में भी उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ा क्योंकि घर के बाहर अब वे राजनीतिक क्षेत्र स्थानीय निकायों में आ गई थी। उनके पास अपनी षिकायतों को रखने और उनके निवारण के लिए कोई सांझा मंच नहीं है। यद्यपि, 73वें संविधान संषोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निकायों (पंचायतों) में नेता बनने और सरकार और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। फिर भी इस तथ्य को स्वीकार करना आवष्यक है कि हम सामाजिक असमानताओं और अवरोधों के स्वरूप को समझें जिससे उन्हें क्षति पहुँचती है।

तेहत्रवें संविधान संषोधन विधेयक के पारित होने से पहले महिलाओं का सामाजिक संस्थाओं और सहकारी समितियों में नामांकन या सहसदस्यता प्रदान करके उनके लिए विशेष अवसर दिए गए थे। किन्तु यह एक प्रकार की प्रतीकात्मकता ही थी। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संषोधन ने 10 लाख से अधिक महिलाओं को अपने गाँवों में बहुत सार्थक ढंग से नियन्ता बना दिया। 33.3 प्रतिषत सीटों पर आरक्षण (अब इस आरक्षण को 50 प्रतिषत करने का संषोधन कर दिया गया है) ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कर दिया गया है। इससे अपने क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए महिलाओं को राजनीतिक शक्ति के इस्तेमाल का अवसर मिला। महिलाओं का इस मानक प्रतिनिधित्व (आलोचनात्मक समूह – Critical Mass) से यह अपेक्षा की जाती है कि महत्वपूर्ण कार्य करेगा जिससे विकास प्रक्रिया में नया मोड़ आएगा और प्रषासन में महिलाओं की भागीदारी से लोगों के जीवन में दूरगामी परिणाम होंगे। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं और अन्य हाषिए के समूहों के लिए नए अवसर प्रदान किया और प्रषासन की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया। स्थानीय निकायों के 10 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की शक्ति देकर समकालीन स्थिति में यह सबसे बड़ा प्रयोग किया गया है। इस नए प्रसार ने विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने का एक अवसर दिया जो अपनी सीमाओं और अभावों के कारण पिछड़ी थी। यद्यपि, वंचित वर्गों (हाषिए के समाज) की महिलाओं की अपनी शक्ति के प्रयोग में अनेक तरह की बाधाएँ भी दिखाई दे रही हैं। महिलाओं, विशेषतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सषक्तीकरण के लिए कार्य करना एक चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं के सषक्तीकरण के लक्ष्य के लिए कार्य करना आवष्यक है इसके द्वारा मौज़ूदा लैगिंक सम्बन्ध (भेदभावपरक सम्बन्ध) को उज़ागर किया जा सकेगा, उसे चुनौती दी जा सकेगी और उसे नया आकार दिया जा सकेगा।

जमीनी स्तर पर महिलाओं की प्रभावी राजनीतिक भागीदारी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक भारत में राजनीतिक प्रक्रिया में चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी का बहुत सीमित अवसर मिला है। यही नहीं पितृसत्तात्मकता और सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन ने महिलाओं को राजनीति के नेपथ्य में डाल दिया है। दूसरे शब्दो में आधी जनसंख्या को राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी के मूल भूत मानव अधिकार से वंचित कर दिया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने संसद में 73वें संविधान संषोधन विधेयक पारित किया।

10.6 महिलाएँ और राजनीतिक भागीदारी

विकासात्मक अर्थषास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के अमर्त्य सेन के अनुसार महिलाओं को सकारात्मक विरोध के लिए संगठित करने के प्रयोग ने अपने देष और समाज के बारे में प्रष्न उठाया और विकास के लिए वास्तविक सुरक्षादाता के रूप में उत्तर देने में उनकी सहायता की। वास्तव

में, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपनी नेतृत्व क्षमता और योग्यता का प्रदर्षन कर रही हैं। महिला और पुरुष के बीच समता और समानता धीरे–धीरे बढ़ रही है।

सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर नई रणनीतियाँ अपनाकर महिलाएँ सत्ता सम्बन्धों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने ढंग से नियोजित कर रही हैं। यद्यपि, औपचारिक राजनीति की आम धारणा महिलाओं को अपने में शामिल करने में असफल रही हैं किन्तु महिलाओं के रोज़मर्रा के जीवन में विभिन्न रूपों में राजनीति मौज़ूद रहती है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक आदर्षों और परम्पराओं का वैशिष्ट्य है। राजनीतिक सत्ता संचालन में महिलाएँ बाहर कर दी गई हैं जिसका परिणाम संसाधनों के असमानुपातिक वितरण में देखा जा सकता है।

श्रम के विभाजन की विचारधारा महिलाओं को निज़ी जीवन तक सिमट कर रहने के लिए विवष करती है और महिलाओं के अस्तित्व को पत्नी या माँ की भूमिकाओं तक सीमित कर देती है। निज़ी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में ही निर्णय प्रक्रिया में पुरुष वर्चस्व दिखाई देता है। एक न्यायपूर्ण, मानवीय और सत्तामूलक समाज के निर्माण में राजनीति को एक लोकतांत्रिक, सहभागितापरक, उत्तरदायी और पारदर्षी साधन बनना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में सभी का हित होना चाहिए और समाज के सभी वर्गों के लोगों तक सुगमता से पहुँचना उसमें संभव हो सके। इसमें आधी आबादी महिलाओं की है। चुनावी खर्च की ऊँची रकम, अनुचित और गैर–कानूनी हथकण्डे, हिंसा और भ्रष्टाचार ऐसे कुछ कारण हैं जो राजनीति में महिलाओं को भाग लेने से रोकते हैं।

दक्षिण एषियाई देषों में सार्वजनिक/निज़ी का विभाजन लैगिंक संदर्भ में निर्मित एवं व्यवहृत है। पुरुषों का सम्बन्ध सार्वजनिक और बाहरी दुनिया से हैं जबकि महिलाओं को निज़ी और घरेलू दुनिया से जोड़ दिया गया है। यह तब भी लागू होता है जब किसी भी काम का वर्गीकरण पुरुष या महिला, सार्वजनिक या निज़ी के बीच किया जाता है। यह भिन्नता विभिन्न देषों में भी देखी जा सकती है, एक ही देष के भीतर देखी जा सकती है। इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य की प्रकृति क्या है?

महिलाओं के लिए सार्वजनिक और निज़ी का विभाजन स्पष्टतः वैध एवं अवैध सामाजिक व्यवहारों को लैगिंक अवधारणा को सूचित करता है जहाँ शुचिता और आधुनिकता "अच्छे" महिलात्व के गुण हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहने वाली महिला एक स्वतोव्याघाती शब्द है (अर्थात् महिला सार्वजनिक रूप से सक्रिय नहीं रह सकती)। अच्छे आचरण एवं व्यवहार का अनुसरण करने के लिए महिला को घरेलू दायरे में स्वयं को सीमित रखना होगा, सगे–सम्बन्धियों के अलावा किसी अन्य पुरुष के संसर्ग में नहीं रहना होगा और खासतौर से यह देखना होगा कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जो अषालीन और फलतः अनैतिक हो। इस प्रतिबंध का महिला की भौतिक स्वतंत्रता और षिक्षा के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये दोनों ही कारक महिला को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेष का रास्ता तैयार करते हैं और ये दोनों ही अनिवार्यतः महिला को अपने परिवार और समाज में उनकी स्थिति के साथ उन्हें स्वायत्त नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति के रूप में उभरने में महिलाओं के लिए इन दोनों तत्वों का अमिट प्रभाव पड़ता है। अपने घरेलू दायरे से बाहर अपने को प्रस्तुत करना किसी भी महिला की प्रतिष्ठा के लिए जोखिम भरा हो सकता है। जब महिलाएँ घरेलू दुनिया के बाहर जाकर काम करती हैं तो उनके साथ यौन उत्पीड़न या यौन दुर्व्यवहार के लिए महिलाओं के ऊपर दोष मढ़ने के लिए इस तरह के तर्क का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार की हिंसा को उचित ठहराया जाता है।

श्रम के लैगिंक विभाजन में तनाव एवं निज़ी एवं सार्वजनिक के बीच विभेदक रेखा का प्रभाव समुदाय राष्ट्र (सरकार) के सम्बन्धों पर भी पड़ता है। समुदायों को शक्ति देने के प्रयास में सरकार इस बात

पर बल दे सकती है कि कुछ काम करने में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक सक्षम हैं जैसे पेय जल। महिलाओं को यह स्थान इसलिए प्राप्त है क्योंकि वे अपने रोज़मर्रा के कार्यों में परिवार और समुदाय की आवष्यकताओं और इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह कर सकती हैं। श्रम के लैगिंक विभाजन के कारण, यह कहा जा सकता है कि महिलाएँ वास्तव में संसाधनों के उपभोग या उपयोगिता को सबसे पहले समझ जाती हैं किन्तु सरकारें लगातार उन्हें अयोग्य समझती रही हैं। सरकार का यह प्रतिरोध तब और बढ़ जाता है जब स्वयं महिलाएँ स्वयं यह मान लेती हैं कि उन्हें संभवतः संसाधन प्रबंधन में नहीं लगाया जा सकता हैं क्योंकि यह एक सार्वजनिक/सामाजिक मामला है।

तालिका 3: तुलनात्मक आँकड़े

	ब्राजील	चीन	फ्रांस	जर्मनी	भारत	स्पेन	स्वीडन	यूएसए
श्रम शक्ति भागीदारी (महिला–पुरुष अनुपात)	0.71	0.84	0.79	0.77	0.41	0.66	0.87	0.82
115 देषों में लिंग अनुपात में कमी सूचकांक	67	63	70	5	98	11	1	23
साक्षरता दर (महिला–पुरुष अनुपात)	1	0.91	1	1	0.65	0.98	1	1
प्राथमिक षिक्षा में नामांकन (महिला–पुरुष अनुपात)	0.94	1	1	1	0.94	0.94	1	0.96
माध्यमिक षिक्षा में नामांकन (महिला–पुरुष अनुपात)	1.1	0.97	1.02	0.98	0.79	1.04	1.03	1.02
उच्च षिक्षा में नामांकन (महिला–पुरुष अनुपात)	1.02	0.85	1.28	1	0.66	1.22	1.55	1.39
जन्म के समय लिंग अनुपात (महिला–पुरुष)	0.95	0.89	0.95	0.94	0.95	0.93	0.94	0.95
संसद में महिलाओं का प्रतिषत	9	25	14	47	9	56	9	18
जिस वर्ष महिलाओं को मताधिकार मिला	1934	1949	1944	1918	1950	1931	1862	1920
जितने दिन मातृत्व अवकाष मिलता है	120	90 न्यूनतम	112	98 (वर्तमान में 180)	84	112	480	0
मातृत्व अवकाष के दौरान दिया जाने वाला वेतन (प्रतिषत में)	100	100	100 (अधिकतम)	100	100	100	80-100	0
वैतनिक अवकाष सहित टाइम ऑफ	0	0	3 वर्ष	3 वर्ष	0	3 वर्ष	1.5 वर्ष	84 दिन

स्रोतः अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विष्व स्वास्थ्य संगठन अन्तरसंसदीय संघ, वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम, सरकारी वेबसाइट।

तालिका 4: भारत में कार्य भागीदारी दर

अखिल भारतीय स्तर पर	कुल जनसंख्या			कुल श्रमिक			श्रम दर भागीदारी		
2001	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
कुल	1025251059	530422415	49482864	40251219	27546373	12704845	39.26	51.93	25.68
ग्रामीण	740255371	38043819	35981717	31065533	19919960	11145573	41.97	52.36	30.98
शहरी	284995688	14998422	13501146	91856851	76264134	15592717	32.23	50.8	11.55

स्रोत : *भारत की जनगणना 2001*

बाक्स 2 : वैष्विक लिंग–अन्तराल

विष्व आर्थिक मंच की वैष्विक लिंग–अन्तराल रिपोर्ट 2010 से भारत की नगण्य स्थिति का पता चलता है। जिन 134 देषों में सर्वेक्षण हुआ उनमें से नीचे से 112वें स्थान पर भारत है और उसका स्कोर सिर्फ 0.6155 है। इस सूचकांक के अनुसार महिला–पुरुष की संख्या के अन्तराल के आधार पर 134 देषों की रैकिंग की गई है। भारत (112) क्षेत्रीय रैकिंग में निम्नतम स्थान हासिल करने वाले देषों में शामिल है। भारत और पाकिस्तान (विशेष भारत) महिलाओं के राजनीतिक सषक्तीकरण के मामले में, औसत से ऊपर स्थान है किन्तु तीन अन्य श्रेणियों – आर्थिक भागीदारी, षिक्षा और स्वास्थ्य में वह पिछड़ा हुआ है। विशेषतया लगातार बना रहने वाला षिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदार में अन्तराल भारत की प्रगति के लिए घातक साबित होगा। इस सूचकांक में भारत "ब्रीक (BRIC) इकॉनामिक फीचर" में निम्नतम स्थान पर रखा गया है। इस अध्ययन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगले पाँच वर्षों में इसका सबसे अधिक स्पष्ट प्रभावी चीन और रुस में दिखाई देगा और थोड़ा कम प्रभाव वियतनाम, मैक्सिको, ब्राजील, और इण्डोनेषिया पर पड़ेगा। अगले दषकों में (2015–25) प्रभाव मैक्सिको और रुस पर अधिक बने रहेंगे और चीन, इण्डोनेषिया, वियतनाम, भारत और फिलीपींस में बने रहेंगे। भारत के मध्य वर्ग में बहुत कम लोगों का तेज़ी से विकास होगा किन्तु उसका विस्तार कम से कम अगले 10–15 वर्षों में बहुत कम हो पाएगा क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत खराब है। वैष्विक लिंग–अन्तराल रिपोर्ट ने 134 देषों का मूल्यांकन इस आधार पर किया है कि इन देषों में संसाधन चाहे जो भी हों वे उन संसाधनों और अवसरों का महिला और पुरुष के बीच किस प्रकार विभाजन करते हैं। रिपोर्ट चार क्षेत्रों में लैगिंक असमानता के अन्तराल को इन चार क्षेत्रों में मूल्यांकन का आधार बनाती हैं:

- आर्थिक भागीदारी का अवसर – वेतन का भुगतान, भागीदारी का स्तर और उच्च स्तरीय एवं कुषलता पर आधारित रोज़मर्रा की प्राप्ति
- षिक्षा की प्राप्ति – प्राथमिक एवं उच्च षिक्षा का परिणाम
- राजनीतिक सषक्तीकरण – निर्णय प्रक्रिया की संरचनाओं में प्रतिनिधित्व का परिणाम
- स्वास्थ्य एवं जीवितता – जीवन सापेक्षता और लिंग अनुपात

भारत

आर्थिक भागीदारी एवं अवसर – स्थान 128, स्कोर 0.403, वैष्विक और 0.590

षिक्षा की प्राप्ति – स्थान 120, स्कोर 0.837, वैष्विक और 0.929

स्वास्थ्य एवं जीवितता – स्थान 132, स्कोर 0.931, वैष्विक और 0.955

राजनीतिक सषक्तीकरण – स्थान 23, स्कोर 0.291, वैष्विक और 0.179

यद्यपि, महिलाएँ राष्ट्रवादी आन्दोलनों या क्रांतिकारी आन्दोलनों आदि के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में पहुँचती हैं और उसकी गतिविधियों में भाग लेती हैं किन्तु इसके कारण कुछ भी नहीं बदलता। वे प्रायः निज़ी दायरे में और बंधती जाती हैं। या तो सरकार या कानून उनको ऐसा करने के लिए विवष करता है या समाज में पितृसत्तात्मक विचारधारा पुनः उन पर ऐसा दबाव डालती है। इस बात को तीन महत्वपूर्ण उदाहरणों से पुष्टि होती है – (1) पूर्वी यूरोप में (जैसा कि पहले ही कहा गया) लैगिंक समानता का साम्यवादी दृष्टिकोण बलात् मुक्ति के प्रयास के रूप में देखा गया जबकि लोकतांत्रिक परिवर्तन को महिलाओं को निज़ी और घरेलू दायरों से स्वतंत्र करने के प्रयास के रूप में देखा गया। यही नहीं जहाँ महिलाएँ बच्चों की देखभाल और परिवार को अपनी नौकरी और कैरियर की तुलना में अधिक महत्व देती हैं तो उसकी छूट उनको मिल जाती है क्योंकि सार्वजनिक जीवन को संचालित करने वाले नियम पुरुषवादी हैं। कार्य की अवधारणा कार्य की अवधि आदि इन मामलों के सूचक हैं जैसे – देर रात की बैठकें आदि। (2) ईरान (यद्यपि) जो आधुनिक धर्मनिरपेक्ष आभिजात्य देष हैं) में बीसवीं शताब्दी के मध्य तक इस्लामी क्रांति के द्वारा वे आधुनिक उग्र मुस्लिम महिला बन गई थीं। महिलाओं का सषक्तीकरण उन रोज़गारों तक सिमट गया जो अपनी प्रकृति में "महिलोचित" समझा जाता था जैसे अध्यापन या नर्सिंग या फिर जिसे पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ किया जा सकता था। सन् 1985 में सरकारी भर्ती एजेंसियों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 6 प्रतिषत नौकरियाँ महिलाओं के पास थीं जबकि शेष 94 प्रतिषत स्थानों पर पुरुष काबिज़ थे। (3) उत्तरी बिहार (भारत) में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि सन् 1930 के दषक में महिलाओं की भागीदारी सन् 1989 में उनकी राजनीति में स्थिति के ठीक विपरीत थीं। स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी व्यापक स्तर पर थी। यद्यपि, वे गोपनीय गतिविधियों में हिस्सा लेती थी क्योंकि पुलिस उनकी खोज़बीन और तलाष कम करती थी। किन्तु सन् 1989 में एक तरह का "राजनीतिक परदा" आ गया जिससे महिलाएँ स्थानीय राजनीति में चुनावी प्रक्रिया के बाहर से पहुँच पाती थी। इसलिए चाहे महिलाओं ने उपनिवेषवाद विरोधी राष्ट्रवादी आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी की हो या इस्लामिक क्रांतिकारी आन्दोलन में रही हों या फिर साम्यवादी सरकारों के पतन के बाद लोकतंत्र के उभार में शामिल रही हों जो वास्तविक स्थिति है उसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया।

इस बीच अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण के कारण भारतीय महिलाओं के जीवन पर अनेक स्तरों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है जिससे महिला–पुरुष के बीच अंतर बढ़ता गया है। इसी प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया के स्थानीयकरण से महिलाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। भूमण्डलीकरण के नकारात्मक प्रभावों को राजनीतिक प्रक्रिया के स्थानीयकरण से दूर नहीं किया जा सकता जब तक महिलाओं को समुचित तरीके से उन्मुख, प्रषिक्षित, सक्षम और सचेत और उससे सम्बद्ध नहीं किया जाता। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने के लिए उनके समग्र सषक्तीकरण में वृद्धि राजनीतिक प्रक्रिया के स्थानीय लोगों के द्वारा की जा सकती है।

लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से अनेक सामाजिक समूह गरीब हो गए हैं और गरीबी उन्मूलन का काम बहुत जटिल हो गया है। यही नहीं महिलाओं, खास तौर से गरीब महिलाओं के लिए संसाधनों तक पहुँच के रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि बाज़ार केन्द्रित दृष्टिकोण ने सभी साझा संसाधनों को समाप्त कर दिया है। प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार की प्रक्रिया में महिलाओं एवं हाषिए के लोगों के अधिकारों की क्षति हो रही है। संविधान प्रदत्त उनके अधिकारों और उनकी आजीविका की सुरक्षा कैसे की जाए। ये उन महिलाओं के लिए गंभीर मुद्दे हैं जो महिला आन्दोलनों से जुड़े हैं।

10.7 सारांष

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों (हाषिए के लोगों) के लिए एक अवसर प्रदान किया है जिससे वे सरकारी और सामूहिक संसाधनों के आवण्टन को अपने पक्ष में करने के निर्णय में प्रभावषाली भूमिका निभा सकें और महिला अधिकारों का संरक्षण और प्रोत्साहन कर सकें। यद्यपि, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए अपनी शक्तियों के प्रयोग में कई प्रकार की बाधाएँ आती हैं। महिलाओं, विशेषतया पिछड़े वर्ग की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सषक्तीकरण के लिए कार्य करना एक चुनौती है। इसमें संदेह नहीं है कि महिलाओं के सषक्तीकरण के लिए कार्य करना आवष्यक है जिससे मौज़ूदा (असमान) लैगिंक सम्बन्धों को उद्घाटित किया जा सके और उसको चुनौती दी जा सके। यही नहीं लैगिंक सम्बन्धों को नया आकार देना होगा। इसकी शुरुआत स्थानीय ग्राम पंचातयों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्तर पर की जा सकती हैं क्योंकि उनकी पर्याप्त संख्या है इसका कारण एक–तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह पर्याप्त संख्या तभी निर्णायक कार्य कर सकती हैं जब वे लैगिंक सम्बन्धों के विखण्डन एवं पुनर्रचना की पद्धति के लिए उन्मुख एवं प्रषिक्षित हों।

10.8 बोध प्रष्न

1) महिलाओं के सषक्तीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का विवेचन कीजिए।

2) कुछ देषों के आँकड़ों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी की व्याख्या कीजिए।

3) भारत में महिलाओं की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की व्याख्या कीजिए।

10.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

शकुन्तला नरसिंहन, इम्वारिंग वीमेन एन साल्टरनेटिव स्ट्रेटजी फ्रॉम रूरल इंडिया, सेज पब्लिकेषन्स, नई दिल्ली, 1999

जेन एल., पर्पर्ट, एवं अन्य, वेबसाइट http://www/idrc.ca/en.en/ev.27444-201-1Do-Topic.html से 4 फरवरी 2006 को डाउनलोड किया गया।

पेगी एंट्रोबस, *ग्लोबल वीमेन्स मूवमेंट ओरिजन, इष्यूज एंड स्ट्रेटीजिस,* बुक्स फॉर चेंज, बंगलौर, 2004

इषरत, शामीन, रंजनी कुमारी, *जेण्डर एंड लोकल गवर्नेंस – ए न्यू डिस्कोर्स इन डेवलेपमेंट,* SANEI, 2002

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एसेज ऑन जेण्डर एंड गवर्नेंस, ह्यूमन डेवलेपमेंट रिर्सोस सेन्टर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नई दिल्ली, 2003

यमस्मिन, ताम्बिया (संपा.), वीमेन एंड गवर्नेंस इन साउथ एषिया : रि इमेजिंग दि स्टेट, इंटरनेषनल सेन्टर फॉर एथनिक स्टडीज, कोलम्बो, 2002

जी. पल्लानीथुराई, "बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटीज सुसंग दि इलेक्टेड वीमेन रिप्रिजेंटेटिव्स ऑफ ग्रासरुट इंस्टीट्यूषंस" *वीमेंस लिंग,* नई दिल्ली, खंड 10, सं. 1, जनवरी–मार्च 2004

एस. वीरिंगा, *वीमेंस इंटरेस्ट एंड इम्पवारमेण्ट : जेण्डर प्लानिंग रिकंसीडर्ड, डेवलेपमेंट एंड चेज,* 25, 1990